ग्रेट अंडमानियों को स्ट्रेट द्वीप में बसाया गया है । ओंगियों की लिटिल अंडमान में दो बस्तियाँ हैं, एक डुगांग क्रीक में, और दूसरी साउथ बे में जारवा और सेन्टिनली अभी भी सभ्यता की परिधि से बाहर है । शोम्पेन ग्रेट निकोबार द्वीप में बिखरे हुए प्राकृतिक वास में रहते हैं ।

आदिम जनजातियों के सम्बन्ध में मुख्य समस्या उनकी उत्तरजीविता की है । ग्रेट अंडमानियों, ओंगियों और शोम्पेनों को चिकित्सा सुविधा तथा स्वास्थ्य की देखरेख की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं । दक्षिण अंडमान द्वीप के पश्चिमी तट तथा साथ ही मध्य अंडमान द्वीप को जनजातीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है जो सिर्फ जारवाओं के लिए हैं । गैर-जनजातियों के लिए जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश निषिद्ध हैं । सेन्टिनली उत्तर सेंटिनल द्वीप में संकेन्द्रित हैं ।

अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति, जिसके प्रमुख उप राज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह हैं, आदिम जनजातियों के कल्याण की देखरेख करती हैं ।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की छठी अनुसूचित जनजाति निकोबारी है । 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या 26,173 हैं । वे सम्पूर्ण निकोबार वर्ग के द्वीपों में फैले हुए हैं । उनकी एक बस्ती लिटिल अंडमान में भी है । निकोबार वर्ग के द्वीपों की मुख्य समस्या संचार की है ।

जनजातीय उप योजना नीति के अन्तर्गत निकोबार जिले को समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के रूप में गठित किया गया है और भारत सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार जनजातियों के सामाजार्थिक विकास के लिए बहुत सी स्कीमें इसके अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है । जनजातीय उप योजना के लिए परिव्यय (1992-97) रू. 117.69 करोड़ है । इसके अलावा भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जानी है ।

प्रश्न सं. 4 : आपके राज्य क्षेत्र में कौन सी केन्द्र प्रायोजित स्कीम निष्पादित की जा रही है ? कृपया चालू वर्ष के दौरान इस राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए निर्धारित धनराशि का उल्लेख करें ।

उत्तर : अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :-

क. कृषि

1. मसालों के विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
3. फलों व सब्जियों के उत्पादन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम